U;k;ky; lgk;d dysDVj ,oa mi[k.M vf/kdkjh] fcykMk
ftyk tks/kiqj

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 34/2020

oknh	cuke	izfroknhx.k
भाणी पत्नी स्व. श्री जोगाराम आयु 73 वर्ष, निवासी आम चौक रावर की ढाणी, ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर

izkFkZuk i= vUrxZr /kkjk 136 jktLFkku Hkw jktLo vf/kfu;e lifBr /kkjk 209 jktLFkku VsusUlh ,DV

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी सरकारी पैरोकार

fu.kZ; fnukad %&

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कानावासिया चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 121 रकबा 5.0158 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.0323 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.0482 हैक्टेयर आयी हुयी है, जिसके खाता संख्या 30 है। जिसमें प्रार्थीया का 1/12 वॉ हक व हिस्सा है, वजह सबूत जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीया की उपरोक्त हक व हिस्से की भूमि पूर्व में प्रार्थीया के पति जोगाराम के नाम दर्ज थी तथा जोगाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन द्वारा जोगाराम के 1/3 हिस्से की भूमि प्रार्थीया व जोगाराम के पुत्र बाबूलाल, भीयाराम व पुत्री रूपली के नाम दर्ज हुई। राजस्व ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 363 रकबा 2.7991 हैक्टेयर आयी हुयी है, जिसके खाता संख्या 473 है। जिसमें प्रार्थीया का 1/4 हक व हिस्सा है। वजह सबूत जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीया की उपरोक्त हक व हिस्से की भूमि पूर्व में प्रार्थीया के पति जोगाराम के नाम से दर्ज थी तथा जोगाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन द्वारा उपरोक्त खसरान की भूमि प्रार्थीया व जोगाराम के पुत्र बाबूलाल, भीयाराम व पुत्री रूपी के नाम दर्ज हुई। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 व 3 में वर्णितानुसार प्रार्थी हिस्से की भूमि प्रार्थीया के पति जोगाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन द्वारा प्रार्थीया के नाम से दर्ज हुई। फौतेदगी म्यूटेशन की कार्यवाही प्रार्थीया/जोगाराम के पुत्रों बाबूलाल व भीयाराम द्वारा की गई तथा उनके द्वारा फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करवाते समय फौतेदगी म्यूटेशन में प्रार्थीया को घर पर प्यार व स्नेह से पुकारे जाना वाला नाम अणचीदेवी फौतेदगी म्यूटेशन में लिखवाया। तब से लेकर आज दिन तक राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम अणचीदेवी दर्ज चला आ रहा है। जबकि प्रार्थीया का सही नाम भाणी है। वजह सबूत प्रार्थीया के आधारकार्ड, जन आधारकार्ड, परिचय पत्र वर्ष 2008, परिवार राशन कार्ड, प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, जिसमें प्रार्थीया का सही नाम भाणी दर्ज व अंकित है। प्रार्थीया राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने अशुद्ध नाम अ[illegible] के स्थान पर अपना सही नाम भाणी शुद्ध करवाना चाहती है। इस हेतु यह [illegible] पेश किया है। प्रार्थीया का सही नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:14:53 IST
Reason: SelfAttested

भाणी के स्थान पर दर्ज अशुद्ध नाम अणचीदेवी के कारण प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 व 3 में वर्णित अपने हक व हिस्से की भूमि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने व अन्य समस्त सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अन्त में वाद/प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 व 3 में वर्णित खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का दर्ज अशुद्ध नाम अणचीदेवी पत्नी जोगाराम जाति विश्नोई के स्थान पर प्रार्थीया का सही नाम भाणी पत्नी जोगाराम जाति विश्नोई शुद्ध किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

वादी/प्रार्थीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कानावासिया चक नम्बर 1 के खसरा नम्बर 121 रकबा 5.0158 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.0324 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.0182 हैक्टेयर आई हुई है जिसमें वादी का 1/12 वॉ हिस्सा है, ग्राम रावर के खसरा नम्बर 363 रकबा 2.7991 हैक्टेयर है, जिसमें वादीया का 1/4 हिस्सा है। विरासत नामा. संख्या 1117 ग्राम रावर का तथा ग्राम कानावासिया चक नम्बर 1 का भरते समय वादीया का नाम अणचीदेवी पत्नी जोगाराम दर्ज हो गया। जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आधार कार्ड, राशनकार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि में नाम भाणी है। वादीया राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अपना नाम अणचीदेवी के स्थान पर भाणी करवाना चाहती है। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीया की खातेदारी भूमि ग्राम कानावासिया चक नम्बर 1 व रावर में वादीया का नाम अणचीदेवी के स्थान पर भाणी किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नही है।

वादी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया कि उपरोक्त राजस्व प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में संयोजित कर निस्तारण फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। धारा 209 राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में संयोजित किया जा सकता है तथा उपरोक्त अनवान के राजस्व प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में ट्रीट किया जाना न्याय संगत है। अतः मौजूदा प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में निर्णय किया गया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी द्वारा वादी के तथ्यों को स्वीकार करने के कारण उक्त वाद में तनकीयात की आवश्यकता नही रही। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 ग्राम कानावासिया चक नम्बर 1 की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 121, 122, प्रदर्श 2 ग्राम रावर की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 363, प्रदर्श 3 आधारकार्ड, प्रदर्श 4 जन आधारकार्ड, प्रदर्श 5 पहचान पत्र, प्रदर्श 6 परिवार राशनकार्ड, प्रदर्श 7 मृत्यु प्रमाण पत्र जोगाराम आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम भाणी पत्नी जोगाराम दर्ज किया हुआ है जबकि राजस्व रेकर्ड में वादी की सयुक्त खातेदारी अणचीदेवी पत्नी जोगाराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है। इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपना नाम अणचीदेवी पत्नी जोगाराम के स्थान पर भाणी पत्नी जोगाराम की घोषणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:14:53 IST
Reason: SelfAttested

कराने की अधिकारी है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम कानावासिया चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 121 रकबा 5.0158 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.0324 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.0482 हैक्टेयर, ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 363 ररकबा 2.7991 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में सयुक्त खातेदार अणचीदेवी पत्नी जोगाराम के स्थान पर भाणी पत्नी जोगाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:14:53 IST
Reason: SelfAttested

vfUre fMØh o ejdne bCrnkbZ
¼vkMZj 21 :y 6&7 tkCrk nhokuh½

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

oknh	cuke	izfroknh
भाणी पत्नी स्व. श्री जोगाराम आयु 73 वर्ष, निवासी आम चौक रावर की ढाणी, ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर

ikFkZuk i= vUrxZr /kkjk 136 jktLFkku Hkw jktLo vf/kfu;e
lifBr /kkjk 209 jktLFkku Vhusalh ,DV

राजस्व वाद संख्या :— 34/2020

निर्णय दिनांक :—

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम ग्राम कानावासिया चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 121 रकबा 5.0158 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.0324 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.0482 हैक्टेयर, ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 363 ररकबा 2.7991 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में सयुक्त खातेदार अणचीदेवी पत्नी जोगाराम के स्थान पर भाणी पत्नी जोगाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

rht & ecfyx & ckcr &

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:14:53 IST
Reason: SelfAttested